



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)

Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

रुपाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगन्ध भवन
एन. एच. बाईपास
पी. बी. नं 2277
पालारिवट्टम पी. ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

No.MKT-STTS/0011/2017-18

Date: 21st June 2019

CIRCULAR

Sub: Submission of Quarterly Export Returns-reg.

As you are aware, as per the terms and conditions of grant of Certificate of Registration as Exporters of Spices (CRES), issued in accordance with the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989 and subsequent Amendments, every Registered Exporter of spices should submit the Export/Import Returns in (Form-B, B1&B2) to Spices Board on quarterly basis on or before 10th day of the succeeding quarters.

Also, if there is no Export/Purchase/ Import then a 'NIL' report to that effect should be submitted for the relevant quarters/period.

Now, it is brought to the notice of all the Exporters that all the pending Quarterly Export Returns (Form-B, B1&B2) for the year 2017-18 and 2018-19 should invariably be furnished on or before 15th July 2019.

E-mail id for submission: tis.sb-ker@gov.in

Director (Mktg)

All the Registered Exporters of Spices



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)

Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगन्ध भवन
एन. एच. बाईपास
पी. बी. नं 2277
पालारिवट्टम पी. ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

सं. विपणन-सांख्यिकी/0011/2017-18

दिनांक : 14-06-2019

परिपत्र

विषय : त्रैमासिक निर्यात विवरणी की प्रस्तुति -बाबत

जैसेकि आप जानते हैं, मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का पंजीकरण) विनियम 1989 और अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार जारी किए जानेवाले मसालों के निर्यातकर्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस) प्रदान किए जाने की शर्तों व निबंधनों के अनुसार, मसालों के हर एक पंजीकृत निर्यातकर्ता को अगली तिमाही के पहले महीने के 10 वीं दिन को या उससे पहले तिमाही आधार पर मसाला बोर्ड को फॉर्म बी, फॉर्म बी(1) और फॉर्म बी(2) में निर्यात और आयात संबंधी विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

साथ ही, यदि कोई निर्यात/खरीद/आयात नहीं है तो संबंधित तिमाही/अवधि के लिए संबद्ध एक 'शून्य' विवरण प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अब, सभी निर्यातकर्ताओं के ध्यान में यह लाया जाता है कि वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए लंबित सभी तिमाही निर्यात विवरणी (फॉर्म बी, बी1 और बी2) 15 जुलाई, 2019 को या उससे पहले अनिवार्यतः प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्रस्तुतीकरण के लिए ई-मेल: tis.sb-ker@gov.in

निदेशक(विपणन)

सेवा में,/To

सभी पंजीकृत मसाला निर्यातक